संख्या-10/2020/486/46-1-20-1000(56)/2014

प्रेषक,

शिव सहाय अवस्थी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

गन्ना एवं चीनी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

चीनी उद्योग अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 19 मार्च, 2020

विषय- कृषि विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत हाईक्वाल्टी शुगरकेन शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के लिए अवमुक्त धनराशि रु.954.10 लाख व्यय/उपयोग की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-कें./720/रा.कृ.वि. योजना/विकास/19-20, दिनांक 06.03.2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से कृषि अनुभाग-3 के शासनादेश संख्या-245/12-3-2020-100(43)/2017टी.सी., दिनांक 02 मार्च, 2020 के द्वारा निर्गत की गयी वित्तीय स्वीकृतियों के अनुक्रम में प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृषि विभाग (नोडल विभाग) द्वारा मुख्य सचिव, उ.प्र. की अध्यक्षता वाली एस.एल.एस.सी. द्वारा गन्ना विकास विभाग के हाईक्वाल्टी शुगरकेन शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 के आय-व्ययक में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष उपलब्ध प्राविधान से धनराशि रु.954.10 लाख की वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-245/12-3-2020-100(43)/2017टी.सी., दिनांक 02 मार्च, 2020 के माध्यम से अवमुक्त की गयी उक्त धनराशि के सापेक्ष इस पत्र के संलग्नक में दिये गये जनपदवार/कार्यक्रमवार फॉट/कार्ययोजना के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2019-20 में गन्ना विकास विभाग के अन्तर्गत हाईक्वाल्टी शुगरकेन शीड प्रोडेक्शन एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम के भौतिक कार्यो हेतु कुल धनराशि रु.954.10 (रुपये नौ करोड़ चौवन लाख दस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तो के अधीन, उपयोग/व्यय किये जाने की एतद्द्वारा प्रशासकीय स्वीकृति /अनुमति प्रदान की जाती हैः-

(1) प्रस्तर-2 में स्वीकृत धनराशि का व्यय कृषि विभाग के उक्त शासनादेश संख्या-245/12-3-2020-100(43)/2017टी.सी., दिनांक 02 मार्च, 2020 में दिये गये

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शर्तो/प्राविधानों के अनुसार समयान्तर्गत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए शासन/कृषि विभाग एवं अन्य सम्बन्धित को प्रमाणिक सूचनाएं/ उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाय।

(2) गन्ना विभाग द्वारा संचालित संलग्न कार्यक्रमों का संचालन राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-2077सी0डी0/46-3-13-1000(74)/ 2012 दिनांक 31 जनवरी, 2013 एवं शासनादेश संख्या-2331सी0डी0/46-3-13-1000(74)/2012 दिनांक 22 नवम्बर, 2013 तथा शासनादेश संख्या-1492 सी.डी./ 46-3-23-1000(72)/2012 दिनांक 06 अक्टूबर, 2016 द्वारा निर्गत मार्गदर्शक सिद्धान्तों (गाइड लाईन्स) के आधार पर क्रियान्वित की जायेगी।

(3) गन्ना विकास विभाग द्वारा संचालित जनपदवार/योजनावार कार्यक्रमों को संलग्न विवरण के अनुसार वर्ष 2019-20 के वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप उपयोग किया जाय तथा सम्पन्न कार्यक्रमों की समुचित पुष्टि कराते हुए यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि योजना अन्तर्गत लाभार्थियों को दी जा रही सब्सिडी/सहायक अनुदान में वर्तमान तथा भविष्य की अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति/ दृविरावृत्ति न हो। इस हेतु समस्त उत्तरदायित्व जिला गन्ना अधिकारी एवं अपर गन्ना आयुक्त (विकास) का होगा।

(4) प्रस्तर-2 में अनुमोदित कार्ययोजना के सापेक्ष स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय तथा यदि धनराशि अवशेष बचती है तो उसे तत्काल शासन को समर्पित कर दिया जाय। तदनुसार उपयोग की गयी धनराशि का कार्यक्रमवार/जिलावार विवरण शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(5) गन्ना विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत संचालित संबंधित कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल/फाइनेंशियल हैण्डबुक के नियमों तथा केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के कृषि एवं अन्य विभागों के द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों/नियमो एवं गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

(शिव सहाय अवस्थी)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या-10/2020/486(।)46-1-20-1000(56)/2014, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रमुख सचिव, कृषि विभाग उ.प्र. शासन।
2. अपर गन्ना आयुक्त(विकास)/वित्त नियन्त्रक, गन्ना आयुक्त कार्यालय, उ.प्र.।
3. समस्त सम्बन्धित मण्डलायुक्त, उ.प्र.।
4. समस्त सम्बन्धित जिलाधिकारी, उ.प्र.।
5. विशेष सचिव, कृषि अनुभाग-3, उ.प्र. शासन।
6. समस्त जिला गन्ना अधिकारी/बीज उत्पादन अधिकारी **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
7. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उ.प्र. **(संलग्नक में उल्लिखित जनपद के अनुसार)**
8. नोडल अधिकारी(आर.के.वी.वाई.), उ.प्र. कृषि भवन लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-3/राज्य योजना आयोग-1/2
10. वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-6/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
11. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-10/2020/486/46-1-20-1000(56)/2014 लखनऊ : दिनांक 19 मार्च, 2020 का संलग्नक

(धनराशि रु. में)

क्र.सं.	नाम जनपद	आधार पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	प्राथमिक पौधशाला बीज वितरण कार्यक्रम	कुल योग
		सामान्य	सामान्य	
1	2	3	4	5
1	सहारनपुर	1242200	3984850	5227050
2	मुजफ्फरनगर	1739050	6468250	8207300
3	शामली	2266750	6836025	9102775
योग मण्डल		**5248000**	**17289125**	**22537125**
4	मेरठ	477750	3016075	3493825
5	बागपत	464100	2565775	3029875
6	गाजियाबाद	36600	207825	244425
7	हापुड़	261300	876050	1137350
8	बुलन्दशहर	509250	2797800	3307050
योग मण्डल		**1749000**	**9463525**	**11212525**
9	मुरादाबाद	282450	1594225	1876675
10	रामपुर	357600	430175	787775
11	अमरोहा	606450	5533075	6139525
12	बिजनौर	282350	2677825	2960175
13	सम्भल	273050	1028750	1301800
योग मण्डल		**1801900**	**11264050**	**13065950**
14	बरेली	221250	986575	1207825
15	बदायू	312150	1002450	1314600
16	पीलीभीत	165650	2805350	2971000
17	शाहजहाँपुर	609850	2493375	3103225
18	कासगंज	131850	191300	323150
19	अलीगढ	206300	1542300	1748600
योग मण्डल		**1647050**	**9021350**	**10668400**
20	लखीमपुर	549850	5410525	5960375
21	सीतापुर	654800	4763475	5418275
22	रायबरेली	55950	175550	231500
23	फरूर्खाबाद	124100	542675	666775
24	हरदोई	440450	1157450	1597900
25	कानपुर	47250	166000	213250
योग मण्डल		**1872400**	**12215675**	**14088075**

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

26	अयोध्या	316700	946075	1262775
27	सुल्तानपुर	253950	439825	693775
28	बाराबंकी	353250	632350	985600
29	जौनपुर	87200	186000	273200
30	गाजीपुर	75750	159725	235475
31	वाराणसी	43750	124700	168450
32	अम्बेडकरनगर	56650	220525	277175
योग मण्डल		**1187250**	**2709200**	**3896450**
33	गोण्डा	808950	3078075	3887025
34	बलरामपुर	287600	973600	1261200
35	बहराईच	519450	1274350	1793800
योग मण्डल		**1616000**	**5326025**	**6942025**
36	गोरखपुर	414250	550125	964375
37	बस्ती	708950	2669550	3378500
38	महराजगंज	710150	713425	1423575
39	सिद्धार्थनगर	20850	80800	101650
योग मण्डल		**1854200**	**4013900**	**5868100**
40	कुशीनगर	762850	2861850	3624700
41	देवरिया	119300	451825	571125
42	मऊ	113650	255825	369475
43	बलिया	86850	159450	246300
44	आजमगढ	529800	1789950	2319750
योग मण्डल		**1612450**	**5518900**	**7131350**
योग प्रदेश		**18588250**	**76821750**	**95410000**

(रुपये नौ करोड़ चौवन लाख दस हजार मात्र)

नोटः–जनपद शामली, हापुड, सम्भल तथा अम्बेडकरनगर को आवंटित धनराशि क्रमशः जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, गाजियाबाद, मुरादाबाद तथा अयोध्या द्वारा आहरित कर संबंन्धित जनपदों को उपलब्ध कराया जायेगा।

(सुशील कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।